न्यायालय – सत्र न्यायाधीश, बैतूल, जिला–बैतूल (म.प्र.)

(पीठासीन अधिकारी : दिनेश चन्द्र थपलियाल)

Registration No- CRR/35/2026
Filing No.-3650/2026
CNR No.-MP4801-004461-2026
Filing Date - 15-06-2026

1. भाविन पिता रामजीलाल, आयु 27 वर्ष
   निवासी सुखशांति नगर, पालघर (महा.)
2. रामजीलाल पिता बालू पंवार, आयु 60 वर्ष
3. वंदना पति रामजीलाल पंवार, आयु 58 वर्ष
4. श्रेयांश पिता रामजीलाल पंवार, आयु 24 वर्ष
   निवासी–एच.403 प्रमुख रेसीडेंसी ग्राम पंचायत
   चला वापी जिला वलसाड (गुजरात) ....**पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी**

:: **विरूद्ध** ::

म.प्र.राज्य,
द्वारा महिला थाना बैतूल (म.प्र.) **गैरपुनरीक्षणकर्ता/राज्य**

———————————————————————

पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी द्वारा – श्री सुरेश राक्से, डीसीएलएडीसी,
गैरपुनरीक्षणकर्ता/राज्य द्वारा – श्री नितिन मिश्रा लोक अभियोजक।

———————————————————————

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक **17 जुलाई, 2026** को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल (श्री राजकुमार भद्रसेन) के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्र. RCT/288/2026 ''शासन बनाम भाविन पंवार व अन्य'' में पारित आदेश दिनांक 27–04–2026 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण के विरूद्ध धारा 85, 3(5)

भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोप विरचित किये गये हैं।

2. पुनरीक्षण याचिका के तथ्य सारतः इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण के विरूद्ध फरियादी द्वारा महिला थाना बैतूल में धारा 85, 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्र 03/2025 पंजीबद्ध किया गया है। उक्त अपराध से संबंधित अभियोग पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर वह आपराधिक प्रकरण क्र. 288/2026 के रूप में दर्ज किया जाकर दिनॉक 27.04.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध उक्त अपराध धाराओं में आरोप पत्र विरचित किया गया। उक्त आलोच्य आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता/ आरोपीगण द्वारा यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3. पुनरीक्षण याचिका में मुख्यतः आधार लिया गया है तथा यह तर्क किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ताओं का मुख्य आधार यह है कि विचारण न्यायालय ने उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों का समुचित परीक्षण किए बिना उनके विरुद्ध आरोप निर्धारित कर दिए हैं। पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र को निराधार एवं अपर्याप्त साक्ष्यों पर आधारित बताया गया है तथा यह कहा गया है कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया दहेज की मांग अथवा शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना का कोई विशिष्ट मामला स्थापित नहीं होता। शिकायतकर्ता ने घटना की रिपोर्ट अत्यधिक विलंब से दर्ज कराई, जबकि वह अगस्त 2025 से अपने मायके पक्ष के साथ रह रही थी और नवंबर 2025 के बाद दोनों पक्षों के बीच संपर्क का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इस विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे शिकायत की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

4. पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि शिकायत, प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पुलिस कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास हैं। प्रारंभिक शिकायत एवं एफ.आई.आर. में पाँच लाख रुपये एवं कार की दहेज मांग का उल्लेख नहीं है, जबकि बाद के पुलिस कथन में यह आरोप जोड़ा गया है। इसके अलावा किसी विशिष्ट घटना, तिथि, समय अथवा प्रत्येक आरोपी की अलग–अलग भूमिका का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है और पूरे परिवार को सामान्य आरोपों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। दहेज मांग एवं प्रताड़ना के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह, चिकित्सीय रिपोर्ट अथवा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। विवेचना को पक्षपातपूर्ण बताते हुए यह भी कहा गया है कि क्षेत्राधिकार सिद्ध करने हेतु आवश्यक तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं तथा एक आरोपी पृथक निवास करता था, फिर भी उसे अभियुक्त बनाया गया। ऐसी दशा में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2026 को पारित आरोप विरचना आदेश को निरस्त कर पुनरीक्षणकर्ताओं को भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के आरोपों से उन्मोचित किया जाए।

5. गैरपुनरीक्षणकर्ता/म.प्र.शासन की ओर से लोक अभियोजक ने पुनरीक्षण का विरोध करते हुए तर्क किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों, प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायतकर्ता के कथनों एवं विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत रूप से आरोप निर्धारित किए गए हैं। आरोप निर्धारण के स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अथवा उनकी सत्यता का परीक्षण अपेक्षित नहीं है। पुनरीक्षणकर्ताओं द्वारा उठाई गई विलंब, विरोधाभास, स्वतंत्र साक्ष्य के अभाव, प्रत्येक आरोपी की भूमिका एवं क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियाँ विचारण के दौरान परीक्षण योग्य तथ्यात्मक प्रश्न हैं। अतः

आरोप निर्धारण आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है और पुनरीक्षण याचिका निरस्त किए जाने योग्य है।

6. पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु निम्न बिन्दु विचारणीय हैं :–

क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आरोप विरचना संबंधी आलोच्य आदेश अशुद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक होने से आदेश अपास्त किये जाने योग्य है ?

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

6. पुनरीक्षणकता/आरोपी एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता/शासन के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के आलोक में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश एवं अभिलेख का परिशीलन किया गया।

7. यह आपराधिक पुनरीक्षण अभियुक्तगण द्वारा विचारण न्यायालय के दिनांक 27.04.2026 के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा उनके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, धारा 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत आरोप निर्धारित किए गए हैं।

8. पुनरीक्षणकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में कहीं भी दहेज की राशि एवं दहेज की वस्तु के संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं है। पुलिस को की गयी शिकायत तथा पुलिस कथनों में असमानता हैं, रिपोर्ट विलंब से दर्ज की गई है, प्रत्येक अभियुक्त की पृथक भूमिका का उल्लेख नहीं है, स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं तथा विवेचना दोषपूर्ण है। इन आधारों पर आरोप निर्धारण आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

9. अभिलेख के परीक्षण से स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, शिकायतकर्ता के कथनों तथा विवेचना के दौरान संकलित सामग्री में ऐसे आधार उपलब्ध हैं, जिनसे प्रथम दृष्टया दहेज की मांग एवं

वैवाहिक प्रताड़ना के संबंध में अभियुक्तगण के विरुद्ध विचारण योग्य मामला परिलक्षित होता है। आरोप निर्धारण के स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत मूल्यांकन अथवा उनकी सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण अपेक्षित नहीं है। कथनों में कथित विरोधाभास, रिपोर्ट में विलंब, स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव, विवेचना की गुणवत्ता तथा प्रत्येक आरोपी की भूमिका से संबंधित तर्क ऐसे तथ्यात्मक प्रश्न हैं, जिनका परीक्षण विचारण के दौरान साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। आरोप निर्धारण के स्तर पर यदि अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया विचारण हेतु आधार होना पाया जाता है, तो आरोप विरचित किया जा सकता है। इस स्टेज पर साक्ष्यों का सूक्ष्म विश्लेषण या संभावित बचाव का परीक्षण अपेक्षित नहीं है। इस संबंध में न्याय–दृष्टांत **State of Bihar vs. Ramesh Singh (1977) 4 SCC 39, Sajjan Kumar vs. CBI (2010) 9 SCC 368** एवं **Amit Kapoor vs. Ramesh Chander (2012) 9 SCC 460** अवलोकनीय है।

10. विचारण न्यायालय द्वारा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आरोप निर्धारित किए गए हैं। आदेश में कोई ऐसी विधिक त्रुटि, अनियमितता अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी दोष परिलक्षित नहीं होता, जिससे पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

11. परिणामस्वरूप प्रस्तुत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका सारहीन पाये जाने **निरस्त** की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आरोप निर्धारण आदेश दिनांक 27.04.2026 की पुष्टि की जाती है।

12. आदेश की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस प्रेषित किया जाये।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

सही/– 17.07.2026
(दिनेश चन्द्र थपलियाल)
सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

सही/– 17.07.2026
(दिनेश चन्द्र थपलियाल)
सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

DINESH CHANDRA THAPLIYAL

Digitally signed by DINESH CHANDRA THAPLIYAL
Date: 2026.07.17 13:59:03 +0530